

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

हरिदेवी

विपक्षी

लक्ष्मीलाल

कदमा

वाद

पत्रावली संख्या ३८/१२

सन्

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा  
सूचनाएं जारी की गईं

०५/०१/२५

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण  
मध्य वादीगण को भावांजे दिलवाई गई। समय  
सांघ ५:०० PM हो चुके हैं। अब तक अनुपस्थित  
हैं। अतः अधिवक्ता मध्य वादीगण अनुपस्थित  
रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम  
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(S.D.O) मावली

